मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 417

02.02.2026 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में नोवा फैक्ट्री से निकलने वाला ठोस कचरा और विषैली हवा

417. श्री देवेश शाक्य :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित 'नोवा फैक्टरी' से निकलने वाले ठोस कचरे और विषैली हवा विशेषकर पीएम 2.5 के उच्च स्तर और काले धुएं के कारण आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार और केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त फैक्ट्री की वायु गुणवत्ता, पीएम 2.5 के स्तर, काले धुएं के उत्सर्जन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कोई निरीक्षण या जांच की है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि उक्त प्रदूषण के कारण स्थानीय निवासियों में श्वसन रोग, अस्थमा, आंखों में जलन, त्वचा रोग और अन्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : यूपीपीसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मेसर्स स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स नोवा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था) गाँव भिटौना, तहसील और जिला कासगंज में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जारी वैध (दिनांक 31.12.2027 तक वैधता) संचालन की सहमति (सीटीओ) से प्रचालनरत है। इस एकक का पिछली बार निरीक्षण दिनांक 15.11.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़, यूपीपीसीबी द्वारा किया गया था। उक्त निरीक्षण के दौरान, बहिःस्राव शोधन संयंत्र(ईटीपी) आउटलेट से नमूने एकत्र किए गए थे, जो निर्धारित मानकों का अनुपालन करते पाए गए। इस एकक में स्टैक की निगरानी एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अर्थात् मेसर्स ग्रीन एनवायरोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक प्राधिकृत तृतीय-पक्षीय एजेंसी जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा दिनांक 27.09.2025 को उक्त एकक का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान, हाउसकीपिंग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संतोषजनक स्थिति में पाए गए थे। उक्त एकक का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष सीपीसीबी की एक प्राधिकृत तृतीय-पक्षीय एजेंसी द्वारा किया जाता है। कासगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह पुष्टि की है कि संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण के कारण किसी भी घातक बीमारी का कोई मामला या लक्षण सामने नहीं आया है।
